

बिहार सरकार  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय  
(योजना एवं विकास विभाग)

आवश्यक सूचना

प्रथम स्नातक स्तरीय सयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2010 (विज्ञापन संख्या:-110/2010 से संबंधित SLP Nos -23202-23204/2015, SLP Nos -2796427965/2015 एवं SLP Nos -30109/2015) में दिनांक-06.05.2020 को पारित आदेश एवं M.A Nos. 1443-1444/2020 in CA Nos. 2420-2421/2020 with CONMT PET.(C) No.241/2020 in C.A. No.2424-2020 में दिनांक-10.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में अनुशंसित) के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक-बि०का०च०आ०-प्र०-03/विधि-38/2019 दिनांक-29.01.2022 द्वारा प्राप्त अनुशसा के आलोक में कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के दिनांक-29.03.2022 को शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन (Certificate Verification) हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पुरानी सचिवालय, एनेक्सी भवन, ब्लॉक-3 के प्रथम तल पर स्थित सभा कक्ष में निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित तिथि को निम्न क्रमांक के अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, अतः निम्न अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए पुनः दिनांक-06.04.2022 सुबह 12.30 बजे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पुरानी सचिवालय, एनेक्सी भवन, ब्लॉक-3 के प्रथम तल पर स्थित सभा कक्ष में किया जायेगा।

12330444	10930184	11930040
13430234	12930003	11530372
11730077	11130627	13230410

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्वअभिप्रामाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाए :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अक पत्र।
2. इण्टरमीडियट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, जो आवदेन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर नियोजित हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) (मूल प्रति में)।
5. अचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुजाति/अनुजनजाति अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त अचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में)।

7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)(मूल प्रति में)।
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियों में)। विहित प्रपत्र विभागीय वेब साईट पर उपलब्ध है।
10. आधार कार्ड (मूल प्रति में)।
10. नवीनतम पासपोर्ट साईज का 4 (चार) फोटोग्राफ।
12. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। (शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेब साईट पर उपलब्ध है)।
13. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में)।
14. तिलक-दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी शपथ पत्र (मूल प्रति में)।
15. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में)।
16. उपरोक्त कडिका-1 से 15 तक के अंकित प्रमाण पत्रों/सभी अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ दो सेट में।


ह०/-

(मनीष शर्मा)

सयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापाक.- अ०सा०नि०/स्था०3-05/2021 582 /पटना, दिनांक:- 30-03-22

प्रतिलिपि:- श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश है कि इस नियोजन संबंधी सूचना को क्रमशः विभाग/निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

  
सयुक्त निदेशक (प्रशासन)